प्रदेश में मदरसा से संबंधित 4 सेवाएँ लोक सेवा गारंटी में अधिसूचित

चर्चा में क्यों?

16 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से संबंधित 4 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इन सेवाओं में मदरसा पंजीयन एवं मदरसा के लिये बोर्ड से मान्यता, मदरसा मान्यता का नवीनीकरण, मदरसा संचालन समिति का पंजीयन और मदरसा संचालन समिति का नवीनीकरण सेवा शामिल हैं।
- प्रदेश में बोर्ड से मान्यताप्राप्त 1755 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें 6 हज़ार 155 शिक्षक कार्यरत् हैं। इन मदरसों में 1 लाख 1 हज़ार 454 बच्चे (52 हज़ार 12 बालक और 49 हज़ार 442 बालिकाएँ) अध्ययनरत् हैं।
- मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/4-services-related-to-madrassa-notified-in-public-service-guarantee